रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2010/ज्येष्ठ 28, 1932

No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2010/JYAISTHA 28, 1932

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 523(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह योजना कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2010 कहलाएगी ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवर्तन में आएगी ।

2. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 में, पैराग्राफ 22 में, उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) किसी ऐसे कर्मचारी, जो इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त निधि अथवा भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो, का सदस्य हो, की मृत्यु होने पर, मृतक की संचयी भविष्य निधि राशियों को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को ऐसी संचित राशियों के अतिरिक्त पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान अथवा उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त निधि अथवा भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो, में मृतक के खाते में औसत शेष राशि के बराबर धनराशि का भुगतान किया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर जहां औसत शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो वहां भुगतान की जाने वाली धनराशि एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन पचास हजार रुपये जमा पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि का 40 प्रतिशत होगी ।"

[फा. सं. आर-16011/1/2009-एस.एस.-II]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 की सं. सा.का.नि. 488(अ), दिनांक 28 जुलाई, 1976 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा पिछली बार सं. सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2010

G.S.R. 523(E).— In exercise of the powers conferred by Section 6C, read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in paragraph 22, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) On the death of an employee, who is a member of the Fund or of a provident fund exempted under Section 17 of the Act, as the case may be, the persons entitled to receive the provident fund accumulations of the deceased shall, in addition to such accumulations be paid an amount, equal to the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a provident fund exempted under section 17 of the Act, as the case may be, during preceding twelve months or during the period of his membership, whichever is less, except where the average balance exceeds rupees fifty thousand, the amount payable shall be rupees fifty thousand plus 40% of the amount in excess of rupees fifty thousand subject to a ceiling of rupees one lakh."

[F. No. R-16011/1/2009-SS. II]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note :— The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was lastly amended *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 26th September, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.